समक्ष - एस.एस. दीवान और ए.एल. बहरी जे.जे.

मुरली धर - अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य - प्रतिवादी

आपराधिक अपील संख्या 370-SB ऑफ़ 1987

12 दिसंबर, 1988

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (LXI ऑफ़ 1985) - धारा 18, 41, 42, 53, 74 और 82–दंड प्रक्रिया संहिता (II ऑफ़ 1974)– धारा 156– सामान्य खण्ड अधिनियम (X ऑफ़ 1897)– धारा 24- --अपीलकर्ता धारा 18 के तहत दोषी ठहराया गया - सब इंस्पेक्टर द्वारा की गई वसूली - वैधता - कार्यकारी पुलिस की जांच करने की शक्ति - ऐसी शक्ति पर 1985 अधिनियम का प्रभाव।

अभिनिर्णित - नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 74 के साथ दोनों धाराओं को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि निरस्त अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई को निरस्त अधिनियम के तहत किया गया माना जाएगा। इस प्रकार जो अधिकारी अफीम अधिनियम के तहत जांच करने या वसूली करने के0 लिए अधिकृत थे, उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियुक्त माना जाएगा और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और

अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेंगे जब तक कि राज्य सरकारें अधिकारियों को नियुक्त नहीं करतीं। एसएस के तहत कार्य करें अधिनियम के 41 और 42.

(पैरा 4)

अभिनिर्णित - यह पाया गया है कि 1985 के अधिनियम के लागू होने के बाद और 29 दिसंबर, 1986 की अधिसूचना से पहले उन पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी, जो पहले से ही अफीम अधिनियम के तहत अधिकृत थे, यदि उन्होंने इसका पालन किया है, तो इसे रद्द नहीं किया जाएगा। अधिनियम 1985 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसे अधिकारियों को एसएस के तहत अपेक्षित विधिवत नियुक्त माना जाएगा। अधिनियम के 41 और 42.

(पैरा 6)

कि 1985 का अधिनियम अपने आप में एक संहिता है। अधिनियम की धारा 51 के मद्देनजर, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1974 के प्रावधान इस अधिनियम के तहत जारी किए गए सभी वारंटों और गिरफ्तारियों, तलाशी और जब्ती पर लागू होंगे, जहां तक वे अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं।

(पैरा 7)

अभिनिर्णित - यदि राज्य सरकार पुलिस के अलावा अन्य विभागों के अधिकारियों को एसएस के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लेती है। अधिनियम की धारा 41 एवं 42, संहिता की धारा 156 के प्रावधान बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होंगे। अधिनियम की धारा 74 के मद्देनजर अधिनियम के तहत कार्य करने के लिए अधिकृत पुलिस अधिकारियों को अधिनियम के तहत नियुक्त माना जाएगा, उन्हें एसएस के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 50, 52, 55 और 57। यदि इन प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है, तो संहिता की धारा 156 के तहत कार्रवाई से बचा नहीं जाएगा। अपराधों (अधिनियम 1985 के तहत किए गए) की जांच करने के लिए संहिता की धारा 156 द्वारा परिकल्पित कार्यकारी पुलिस की शक्तियों को अधिनियम 1985 के प्रावधानों द्वारा बेदखल, कम और नियंत्रित किया जाता है।

(पैरा 7)

इस मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए यह मामला 28 अगस्त, 1987 को माननीय श्री न्यायमूर्ति आई.एस. तिवाना द्वारा बड़ी पीठ को भेजा गया था। खंडपीठ में माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस. दीवान और माननीय न्यायमूर्ति एस.एस. दीवान शामिल थे। श्रीमान न्यायमूर्ति ए.एल. बहरी ने 12 दिसंबर, 1988 को इस मामले में शामिल कानून के प्रश्न का फैसला किया और आदेश दिया कि अपीलों को निपटान के लिए अलग से सूचीबद्ध किया जाए।

श्री ए.पी. चौधरी, सत्र न्यायाधीश, जींद की अदालत के दिनांक 16 मई, 1987/18 मई, 1987 के अपीलकर्ता को दोषी ठहराने और सजा सुनाने के आदेश के खिलाफ अपील।

आरोप एवं सजा :

दस साल के लिए आरआई और रुपये का जुर्माना भुगतना होगा। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 18 के तहत एक लाख का जुर्माना, जुर्माना न भरने पर दो साल के लिए अतिरिक्त सज़ा।

अपीलकर्ता की ओर से वकील एस. सी. सिब्बल।

राम अवतार सिंह, अपर. ए.जी. हाई. प्रतिवादी के लिए.

निर्णय

ए.एल. बहरी, जे.-

(1) 28 अगस्त 1987 को, आई.एस. तिवाना, जे. ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करने के बाद निम्नलिखित प्रश्न को बड़ी बेंच को भेजा: -

"क्या संज्ञेय अपराधों की जांच करने के लिए संहिता की धारा 156 द्वारा परिकल्पित कार्यकारी पुलिस की शक्ति, किसी भी तरह से प्रावधानों द्वारा बेदखल, कम या नियंत्रित की गई है? अधिनियम ?"

अन्य मामले (आपराधिक अपील संख्या 1986 का 449 एसबी, 1986 का 620 एसबी, 1986 का 786 एसबी, 1987 का 264 एसबी, 1987 का 282 एसबी, 1987 का 316 एसबी, 1987 का 318 एसबी, 1987 का 319 एसबी, 330 एसबी 1987 के, 1987 के 337 एसबी और 1987 के 371 एसबी) को भी इसी तरह संदर्भित किया गया था। हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना है।

(2) उपरोक्त प्रश्न निम्नलिखित आधारों पर उठा। मुरलीधर अपीलकर्ता को 18 मई, 1987 को सत्र न्यायाधीश, जींद द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 18 के तहत दोषी ठहराया गया और दस साल के कठोर कारावास और एक पंक्ति का भुगतान करने की सजा सुनाई गई। लाख रुपये. लाइन का भुगतान न करने पर उन्हें दो साल के लिए कठोर कारावास भुगतने का आदेश दिया गया। अभियोजन पक्ष के आरोपों के अनुसार 26 नवंबर 1985 को 7.5 किग्रा. अफ़ीम का था हीरा लाई पुलिस उपनिरीक्षक द्वारा अपीलकर्ता के कब्जे से बरामद किया गया।

(3) अधिनियम 14 नवंबर 1985 से लागू हुआ। उसी दिन केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 41, 42 और 53 के तहत अधिसूचना जारी की। हालाँकि, हरियाणा राज्य ने 29 दिसंबर, 1980 को अधिनियम की धारा 41, 12 के तहत कुछ व्यक्तियों को उसमें उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करते हुए अधिसूचना जारी की, जो इस प्रकार है: -

' नहीं एस.ओ. 1Q4/सी.ए. 61/85/एस. 41/86.—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 01) की धारा 41 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा और उससे ऊपर के अधिकारियों को सशक्त बनाते हैं। उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग में सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी का पद; राजस्व विभाग में तहसीलदारों के पद से ऊपर और उपाधीक्षक के पद से ऊपर; पुलिस विभाग में पुलिस को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उस धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करना होगा।

नहीं एस.ओ. 103/सी.ए. 61/85/एस. 42 और 67/86- धारा 42 की उप-धारा (1) और धारा 67 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा अधिकारियों को अधिकार देते हैं। और उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग में उत्पाद शुल्क निरीक्षक के पद से ऊपर; राजस्व विभाग में नायब तहसीलदारों के रैंक और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी और पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक के रैंक के अधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर धारा 42 में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेंगे और उक्त को अधिकृत भी करेंगे। अधिकारी धारा 67 में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेंगे।”

जैसा कि ऊपर बताया गया है, वर्तमान मामले में वसूली हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने से पहले ही की गई थी। इस सवाल पर बहस चल रही है कि क्या 26 नवंबर 1985 को अफीम की बरामदगी करने वाले पुलिस उपनिरीक्षक को ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया था। दूसरे शब्दों में, क्या अधिनियम के लागू होने के बाद, वसूली करने में पुलिस उप निरीक्षक की कार्रवाई को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि वह अधिकृत नहीं था और प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा था। तलाशी और जब्ती के संबंध में अधिनियम। इसी पृष्ठभूमि में उपरोक्त प्रश्न तैयार किया गया था; क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के प्रावधानों को अधिनियम के प्रावधानों से हटा दिया गया है, कम कर दिया गया है या नियंत्रित किया गया है?

अधिनियम के प्रावधानों का संक्षिप्त उल्लेख आवश्यक होगा। अधिनियम की धारा 41, 42 और 74 इस प्रकार पढ़ें: -

41. वारंट और प्राधिकार जारी करने की शक्ति.–(1) एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त कोई द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने अध्याय IV के तहत दंडनीय कोई अपराध किया है, या किसी इमारत, वाहन या स्थान की, चाहे दिन में या रात में, तलाशी ली हो, जिसके संबंध में उसके पास किसी मादक दवा या

मन:प्रभावी पदार्थ के संबंध में विश्वास करने का कारण है। जिसमें से अध्याय IV के तहत दंडनीय कोई अपराध किया गया हो या कोई दस्तावेज़ या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध के किए जाने का सबूत दे सकती है, रखी या छिपाई गई है।

(2) केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नशीले पदार्थ, सीमा शुल्क, राजस्व खुफिया विभाग या केंद्र सरकार के किसी अन्य विभाग या सीमा सुरक्षा बल के राजपत्रित रैंक का कोई भी ऐसा अधिकारी जो सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त हो। केंद्र सरकार, या राज्य सरकार के राजस्व, औषधि नियंत्रण, उत्पाद शुल्क, पुलिस या किसी अन्य विभाग का कोई ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त है, यदि उसके पास व्यक्तिगत ज्ञान से विश्वास करने का कारण है या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखित में ली गई जानकारी कि किसी व्यक्ति ने अध्याय IV के तहत दंडनीय अपराध किया है या कोई नशीली दवा, या मनोदैहिक पदार्थ जिसके संबंध में अध्याय IV के तहत दंडनीय कोई अपराध किया गया है या कोई दस्तावेज़ या अन्य लेख जो ऐसे अपराध के घटित होने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है जिसे किसी भवन, वाहन या स्थान पर रखा या छुपाया गया है, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने या तलाशी लेने के लिए अपने अधीनस्थ लेकिन चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल से वरिष्ठ रैंक के किसी भी अधिकारी को अधिकृत कर सकता है। चाहे वह दिन में हो या

रात में, किसी भवन, वाहन या स्थान पर स्वयं किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता हो या किसी भवन, वाहन या स्थान की तलाशी लेता हो।

(3) वह अधिकारी जिसे उपधारा (1) के तहत वारंट संबोधित किया जाता है और वह अधिकारी जिसने गिरफ्तारी या तलाशी को अधिकृत किया है या वह अधिकारी जो उपधारा (2) के तहत अधिकृत है, के पास धारा के तहत कार्य करने वाले अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी 42.

42. वारंट या प्राधिकार के बिना प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति.–(1) केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नारकोटिक्स, सीमा शुल्क, राजस्व विभाग का कोई भी ऐसा अधिकारी (चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल से वरिष्ठ रैंक का अधिकारी) खुफिया या केंद्र सरकार या सीमा सुरक्षा बल का कोई अन्य विभाग, जिसे केंद्र सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में अधिकार दिया गया है, या कोई ऐसा अधिकारी (चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल से वरिष्ठ पद का अधिकारी)) राजस्व, औषधि नियंत्रण, उत्पाद शुल्क, पुलिस या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग का, जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त है, यदि उसके पास किसी व्यक्ति द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी या जानकारी पर विश्वास करने का कारण है और यह लिखित में लिया गया है कि कोई भी मादक औषधि, या मनोदैहिक पदार्थ, जिसके संबंध में अध्याय IV के तहत दंडनीय अपराध किया गया है या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु

जो ऐसे अपराध के होने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है, किसी में रखी या छिपाई गई है। भवन, वाहन या बंद स्थान, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच, -

(ए) ऐसी किसी भी इमारत, वाहन या स्थान में प्रवेश करेगा और तलाशी लेगा;

(बी) प्रतिरोध के मामले में, किसी भी दरवाजे को तोड़ दें और हटा दें

ऐसे प्रवेश में कोई बाधा;

(सी) ऐसी दवा या पदार्थ और उसमें प्रयुक्त सभी सामग्रियों को जब्त कर लें

उसका निर्माण और कोई अन्य वस्तु और कोई जानवर या वाहन जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के तहत जब्ती के लिए उत्तरदायी है और कोई भी दस्तावेज या अन्य वस्तु जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है वह अध्याय के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के कमीशन का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। IV ऐसी दवा या पदार्थ से संबंधित; और

(डी) हिरासत में लेना और तलाशी लेना, और यदि वह उचित समझे तो किसी को गिरफ्तार करना;

वह व्यक्ति जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने ऐसी दवा या पदार्थ से संबंधित अध्याय IV के तहत दंडनीय कोई अपराध किया है:

बशर्ते कि यदि ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी अपराधी के भागने के लिए सबूत या सुविधा छुपाने का अवसर दिए बिना तलाशी वारंट या प्राधिकरण प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो वह किसी भी समय ऐसी इमारत, वाहन या संलग्न स्थान में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है। अपने विश्वास के आधारों को दर्ज करने के बाद सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच।

(2) जहां कोई अधिकारी उप-धारा (1) के तहत लिखित रूप में कोई जानकारी लेता है या उसके प्रावधान के तहत अपने विश्वास के लिए आधार दर्ज करता है, तो वह तुरंत उसकी एक प्रति अपने तत्काल आधिकारिक वरिष्ठ को भेज देगा।

74. संक्रमणकालीन प्रावधान - सरकार का प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले, इस अधिनियम में प्रदान किए गए किसी भी मामले के संबंध में किसी भी शक्ति या कर्तव्यों का प्रयोग या पालन करता है, ऐसे प्रारंभ पर, माना जाएगा इस अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उसी पद पर और उसी पदनाम के साथ नियुक्त किया गया है जिस पद पर वह ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कार्यरत थे।"

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 इस प्रकार है: -

“156. संज्ञेय मामले की जांच करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति.-

(1) किसी पुलिस स्टेशन का कोई भी प्रभारी अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, किसी भी संज्ञेय मामले की जांच कर सकता है, जिसकी ऐसे स्टेशन की सीमा के भीतर स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय को प्रावधानों के तहत जांच करने या मुकदमा चलाने की शक्ति होगी। अध्याय XIII का.

(2) ऐसे किसी भी मामले में किसी भी पुलिस अधिकारी की कार्यवाही पर किसी भी स्तर पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि मामला ऐसा था जिसकी जांच करने के लिए ऐसे अधिकारी को इस धारा के तहत अधिकार नहीं था।

(3) कोई भी मैग1 (धारा 190 के तहत अधिकार प्राप्त दर ऊपर उल्लिखित ऐसी जांच का आदेश दे सकता है।)

ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि वे अधिनियम के लागू होने के बाद अधिनियम के तहत अपराध के कमीशन पर लागू होते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अधिनियम की धारा 41 और 42 के तहत पुलिस सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों को अधिकृत करने का अधिकार दिया गया है, जो वारंट जारी करेंगे, परिसर या व्यक्तियों की तलाशी लेंगे। अधिनियम के अंतर्गत आने वाली आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी। अधिनियम की धारा 74 में प्रावधान है कि जब तक ऐसे अधिकारियों को उपयुक्त सरकार द्वारा अधिकृत नहीं किया जाता है, तब तक सभी अधिकारी जो पहले से ही ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, तब तक ऐसा करना जारी रखेंगे जब तक

कि ऐसी राज्य सरकार अधिनियम की धारा 41 और 42 के तहत अपेक्षित अधिकारियों या कर्मचारियों को अधिकृत नहीं करती है। इस प्रावधान को अधिनियम की धारा 74 के तहत संक्रमणकालीन प्रावधान के रूप में वर्णित किया गया है। हाकम सिंह बनाम केंद्र शासित प्रदेश[1] में उजागर सिंह, जे के फैसले का संदर्भ दिया गया था, जिसमें अधिनियम की धारा 74 के प्रावधानों का जिक्र करते हुए, यह देखा गया था कि यह अधिकारी को अनिवार्य प्रावधानों की अनदेखी करने की अनुमति नहीं देता है। अधिनियम का. जहां तक इसका सवाल है तो कोई विवाद नहीं है. अधिनियम के लागू होने के बाद, अधिनियम की धारा 41, 42 के तहत जारी किसी भी अधिसूचना के अभाव में, जो अधिकारी पहले से ही जब्ती आदि की शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, वे ऐसा करना जारी रखेंगे लेकिन वे अनिवार्य प्रावधानों का पालन करेंगे। अधिनियम की धारा 74 के मद्देनजर इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उन्हें अधिकृत माना जाएगा। उजागर सिंह, जे. ने अधिनियम की धारा 74 के संबंध में हाकम सिंह के मामले (सुप्रा) में भी निम्नानुसार देखा :-

> “इस धारा के शीर्षक में इस्तेमाल किया गया शब्द 'संक्रमणकालीन' इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि यह प्रावधान केवल बहुत ही सीमित अवधि के लिए था ताकि केंद्र सरकार या राज्य सरकार को प्रारंभिक तिथि पर सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा अधिकारियों को विशेष रूप से अधिकृत करने में सक्षम बनाया जा सके।”

---

[1] 1988 CrLJ 528

हम ऊपर दी गई सामान्य टिप्पणियों से सहमत हैं कि संबंधित राज्य सरकारों को अधिनियम की धारा 41 और 42 के तहत अपेक्षित अधिकारियों को तुरंत अधिकृत करना चाहिए जैसा कि अधिनियम की धारा 74 के तहत विचार किया गया है। हालाँकि, यह न्यायालय उचित समय से कम कोई समय तय नहीं कर सकता है जिसके भीतर राज्य सरकार को व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 41, 42 के तहत कार्य करने के लिए अधिकृत करने वाली अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया जा सकता है, क्योंकि उचित समय के भीतर ऐसी अधिसूचना जारी न करना, यदि ऐसा तय है। , कानूनी स्थिति नहीं बदलेगा. अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई, जो अधिनियम के लागू होने के बाद किए गए अपराधों के लिए अधिनियम के लागू होने से पहले भी ऐसा करने के लिए अधिकृत थे, धारा 41 और 42 के तहत आवश्यक ऐसे व्यक्तियों को अधिकृत करने वाली अधिसूचना जारी न करने के कारण खराब नहीं होगी। अधिनियम की धारा 74 के मद्देनजर अधिनियम।

(4) अपीलकर्ताओं की ओर से, नंद लाई बनाम राजस्थान राज्य[2] में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया गया है। राजस्थान राज्य ने 1985 में एक अधिसूचना जारी कर कुछ व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 41 और 42 के तहत कार्य करने के लिए अधिकृत किया था। 1983 में एक और अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें सहायक उप निरीक्षकों को अधिनियम की धारा 41, 42 के तहत कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया था। उस संदर्भ

[2] 1988(1) Prevention of Food Adulteration cases 25

में राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना कि 1986 में जारी अधिसूचना से पहले, सहायक पुलिस उप निरीक्षकों के पास धाराओं के तहत कार्य करने की कोई शक्ति नहीं थी। अधिनियम की धारा 41 और 42। यह निर्णय संदर्भित प्रश्न को तय करने में सहायक नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा 74 के प्रावधान चर्चा के लिए नहीं थे। संक्रमणकालीन अवधि के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय की कोई टिप्पणी नहीं थी। अधिनियम को लागू करना और पहली अधिसूचना जारी करना जो 1985 में किया गया था। ऊपर संदर्भित नंद लाई का मामला फिर से ज़ेडजेएमआरवी बनाम राजस्थान राज्य[3] में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा देखा गया था। चूंकि अधिनियम की धारा 74 का निहितार्थ था मामले में शामिल नहीं होने पर, यह निर्णय संदर्भित प्रश्न पर निर्णय लेने में सहायक नहीं है।

अधिनियम की धारा 82 का संदर्भ लिया जा सकता है जो इस प्रकार है: -

> "82. निरसन और बचत।–(1) अफीम अधिनियम, 1857 (1857 का 13) अफीम अधिनियम, 1878 (1887 का 1) और खतरनाक औषधि अधिनियम, 1930 (2 से 1930) को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।
>
> (2) इस तरह के निरसन के बावजूद, उप-धारा (1) द्वारा निरस्त किए गए किसी भी अधिनियम के तहत किया गया कोई भी काम या की गई कोई कार्रवाई या की जाने

[3] 1988(2) Recent Criminal Reports 137

वाली कथित कार्रवाई, जहां तक इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है , इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत किया गया या लिया गया माना जाएगा।"

सामान्य धारा अधिनियम की धारा 24 इस प्रकार है: -

“24. निरस्त और पुनः अधिनियमित किए गए अधिनियमों के तहत जारी किए गए आदेशों आदि की निरंतरता। - जहां कोई (केंद्रीय अधिनियम) या विनियमन, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद, निरस्त किया जाता है और संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से अधिनियमित किया जाता है, तब तक, जब तक कि यह न हो अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया, कोई भी (नियुक्ति अधिसूचना), आदेश, योजना, नियम, पूर्व उप-कानून बी (बनाया गया या) निरस्त अधिनियम या विनियमन के तहत जारी किया गया, जहां तक यह फिर से अधिनियमित प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है, लागू रहेगा , और इस प्रकार पुन: अधिनियमित प्रावधानों के तहत बी(बनाया या) जारी किया गया माना जाएगा, जब तक कि इसे किसी भी बी(नियुक्ति, अधिसूचना) आदेश, योजना, नियम प्रपत्र या उप-कानून बी(बनाया या) द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है। इस प्रकार पुन: अधिनियमित प्रावधानों के तहत जारी किए गए सी [और जब कोई (केंद्रीय अधिनियम) या विनियमन, जो अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 (1974 का XIV) की धारा 5 या 5-ए के तहत एक अधिसूचना द्वारा, या किसी भी समान कानून द्वारा , किसी स्थानीय क्षेत्र में विस्तारित किया गया है, बाद की अधिसूचना द्वारा, ऐसे

क्षेत्र या उसके किसी हिस्से से वापस ले लिया गया है और विस्तारित किया गया है, तो ऐसे अधिनियम या विनियमन के प्रावधानों को निरस्त और पुनः अधिनियमित माना जाएगा। इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र या भाग।"

अधिनियम की धारा 74 के साथ इन दोनों धाराओं को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि निरस्त अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई निरस्त अधिनियम के तहत की गई मानी जाएगी। इस प्रकार जो अधिकारी अफीम अधिनियम के तहत जांच करने या वसूली करने के लिए अधिकृत थे, उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियुक्त माना जाएगा और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेंगे जब तक कि राज्य सरकारें अधिकारियों को नियुक्त नहीं करतीं। धारा 41 के तहत कार्रवाई करें और. अधिनियम के 42.

(5) राज्य की ओर से नील उर्फ निरंजन मजूमदार बनाम राज्य ओज पश्चिम बंगाल[4] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया था। उस मामले में, एक अपराध किया गया था, क्योंकि उस व्यक्ति के पास 1970 में यानी शस्त्र अधिनियम, 1878 के निरसन के बाद एक तलवार पाई गई थी। यह निरसन अधिनियम की धारा 15 के तहत जारी 1923 की अधिसूचना का उल्लंघन था। यह माना गया कि इस निरसन के बावजूद, अधिसूचना नए अधिनियम की धारा 4 के तहत लागू रहेगी। मेरे विचार में, इस निर्णय का अनुपात उपयुक्त रूप से मौजूदा मामले

[4] AIR 1972 SC 2066

पर लागू किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 74 उस विषय पर विशिष्ट है जो बहस किए गए प्रश्न का उत्तर देती है।

(6) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की चर्चा से, जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह पाया गया है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा अधिनियम, 1985 के लागू होने के बाद और 29 दिसंबर, 1986 की अधिसूचना से पहले की गई आपत्तिजनक वस्तुओं की वसूली के लिए जो लोग पहले से ही अफीम अधिनियम के तहत कार्य करने के लिए अधिकृत थे, यदि उन्होंने अधिनियम, 1985 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है, तो उन्हें प्रभावित नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसे अधिकारियों को अधिनियम की धारा 41 और 42 के तहत आवश्यक रूप से नियुक्त माना जाएगा।

(7) 1985 का वह अधिनियम अपने आप में एक संहिता है। धारा 51 के मद्देनजर अधिनियम में, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान इस अधिनियम के तहत जारी किए गए सभी वारंटों और गिरफ्तारियों, तलाशी और जब्ती पर लागू होंगे, जहां तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं। अधिनियम के तहत अधिनियम की धारा 41 और 42 के तहत अधिकृत अधिकारियों, या अधिनियम की धारा 74 के मद्देनजर अधिकृत समझे जाने वाले अधिकारी को धारा 50, 52, 53, 55 के तहत निर्धारित विशेष प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। अधिनियम के 57. अधिनियम में अब न्यूनतम 10 वर्ष कारावास और न्यूनतम एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। धारा 50, 52, 55 और 57 के तहत विशेष प्रक्रिया का

सख्ती से पालन करने का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान अनिवार्य हैं. अधिनियम की धारा 41 और 42 के तहत कार्य करने वाले अधिकारी को उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने का रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है। अब इन प्रावधानों का पालन करने से मुकदमा ख़राब हो जाएगा। यदि राज्य सरकार अधिनियम की धारा 41 और 42 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पुलिस के अलावा अन्य विभागों के अधिकारियों को अधिकृत करने का निर्णय लेती है, तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के प्रावधान बिल्कुल भी लागू नहीं होंगे। अधिनियम की धारा 74 को ध्यान में रखते हुए अधिनियम के तहत कार्य करने के लिए अधिकृत पुलिस अधिकारी, क्योंकि उन्हें अधिनियम के तहत नियुक्त माना जाएगा और अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया है, उन्हें धारा 50, 52, 55 और के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 57 जैसा कि ऊपर देखा गया है। यदि इन प्रावधानों का पालन नहीं किया गया तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के तहत कार्यवाही से बचा नहीं जा सकेगा। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 द्वारा अपराध (अधिनियम, 1985 के तहत किए गए) की जांच करने के लिए परिकल्पित कार्यकारी पुलिस की शक्तियां इस प्रकार अधिनियम, 1985 के प्रावधानों द्वारा बेदखल, कम और नियंत्रित की जाती हैं। संदर्भित प्रश्न का उत्तर दिया गया है जैसा कि ऊपर सकारात्मक है, चूंकि गुण-दोष के आधार पर अपीलों का निपटारा किया जाना है, इसलिए उन्हें अलग से एकल पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रितिज़ अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TRAINEE JUDICIAL OFFICER)

(हरियाणा)